M-439
27/10/05

R-11296
14/10/04

रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P-0-450
km- 30
Dept-200
CP/B-280

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2004/आश्विन 22, 1926
No. 453] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2004/ASVINA 22, 1926

पूरा किया 25/10

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

प्रभारी
र॰ वि॰ एककक

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2004

सा.का.नि. 676(अ).—केन्द्रीय सरकार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवेदन ग्रहण करने और निपटारों के लिए प्रक्रिया नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रवेश के लिए आवेदन करना और उसे ग्रहण करना :**

(1) कोई आवेदन धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को सम्बोधित किया और व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत पावती सहित डाक द्वारा उसे भेजा जाएगा।

(2) आवेदन में संक्षिप्त रूप में संगठन को हटाए जाने का आधार दिए जाएंगे।

3. **आवेदन का निपटान :—**

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर विचार और निपटान किया जाएगा।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन के किसी भाग में त्रुटि है, केन्द्रीय सरकार, ऐसे आवेदन को निरस्त करने से पूर्व, यथास्थित सम्बद्ध संगठन या व्यक्ति को बुलाएगी और 30 दिन की अवधि के भीतर ऐसी त्रुटि को दूर करने का निर्देश देगी। यदि वह ऐसा करता है तो आवेदन पर विचार किया जाएगा।

[फा. सं. I 17014/72/2004-आईएस-VII]

एल.सी. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2004

G.S.R. 676(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (2) of Section 52 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Procedure for Admission and Disposal of Application Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Making and admission of application :**

(1) An application under Sub-section (1) of Section 36 shall be addressed to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi and presented personally or forwarded to him by registered post with acknowledgement due.

(2) The application shall set forth concisely the grounds for removal of the organization.

3. **Disposal of application :—**

(1) The application made under Sub-section (1) of Section 36 of the Act shall be considered and disposed of by the Central Government within a period of forty-five days from the date of receipt of application.

(2) If the Central Government is satisfied that the application filed under Sub-section (1) of Section 36 is defective in any form, the Central Government shall, before rejecting such application, call upon the concerned organization or the person, as the case may be, to remove the defect within a period of thirty days and if he or it does so, the application shall be considered.

[F. No. I-17014/72/2004-IS-VII]

L. C. GOYAL, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054